स्मृति पत्र / Memorundam of Association

1.	संस्था का नाम	:	केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सोसाइटी Central Board of Open Schooling and Examination Society
2.	संस्था का पता	:	सी– 91 जे जे क्लस्टर, पीरागढ़ी, नई दिल्ली।
3.	संस्था का प्रशासनिक कार्यालय	:	प्राइम प्लाजा इन्दिरा नगर निकट मुंशी की पुलिया लखनऊ।
4.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त भारतवर्ष
5.	संपर्क संख्या	:	91–9557361231

6. **संस्था का स्वरूपः–**

यह संस्था एक चैरिटेबल संस्था है, जो धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय एवम् राजनीति से हटकर एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करेगी।

7. **संस्था के उद्देश्य**

क) **यह कि** भारत में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विकास, संचालन, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शैक्षिक तंत्र की स्थापना की जाए, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी ढाँचों से प्रेरित हो, तथा उन शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं जनसमुदायों को भी सम्मिलित करे जिन तक पूर्ववर्ती मुक्त विद्यालयी प्रणालियाँ पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाई हैं, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में वर्णित समान, लचीली एवं समावेशी शिक्षा–पथ की संकल्पना के अनुरूप हो।

ख) **यह कि** माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर ऐसे लचीले, समतामूलक, सुगम एवं वैकल्पिक शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, जिनसे वे विद्यार्थी, युवा तथा वयस्क, जिन्हें नियमित विद्यालयी ढाँचे अथवा पूर्व से संचालित मुक्त विद्यालयी बोर्डों की सीमाओं के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ा है, पुनः औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें।

ग) **यह कि** बहु–प्रवेश व्यवस्था, सूक्ष्म–प्रमाणपत्र आधारित अध्ययन, खण्डवार (मॉड्यूलर) पाठ्यक्रम, कौशल–आधारित तथा अकादमिक संयुक्त अध्ययन, ऑनलाइन / डिजिटल शिक्षण तथा वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जाए, जो मुक्त विद्यालयी क्षेत्र में अब तक उपलब्ध संरचनाओं से अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक हो तथा राष्ट्रीय

शिक्षा नीति–2020 के शैक्षणिक ऋण–भण्डार (Academic Bank of Credits) ढाँचे के अनुरूप हो।

घ) **यह कि** ग्रामीण, दूरस्थ, जनजातीय, सामाजिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक–बहुल तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर अध्ययन–केंद्र, परीक्षा–केंद्र तथा स्थानीय सहायता इकाइयाँ स्थापित की जाएँ, जिससे वह शैक्षणिक पहुँच सुनिश्चित हो सके जो पूर्ववर्ती मुक्त विद्यालयी संस्थाएँ सर्वत्र स्थापित नहीं कर सकीं।

ङ) **यह कि** परीक्षा, मूल्यांकन, परिणाम, प्रमाणन एवं शैक्षणिक सत्यापन हेतु एक पूर्णतः डिजिटल, तकनीकी एवं समयबद्ध व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें त्वरित सत्यापन, सुरक्षित अंक–पत्र, ऑनलाइन परिणाम–प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख–प्रबंधन तथा सुरक्षित परीक्षा–प्रणाली सम्मिलित हों, और जो भारत सरकार की डिजिटल शिक्षा नीति के अनुरूप हो।

च) **यह कि** नामांकन, अध्ययन, परीक्षा, प्रमाणन, पुनर्मूल्यांकन, ऋण–अंक स्थानांतरण एवं अन्य विद्यार्थी सेवाओं हेतु एक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं त्वरित छात्र–सहायता तंत्र स्थापित किया जाए, जिससे वर्तमान मुक्त विद्यालयी प्रणाली की सीमाओं का समाधान हो सके।

छ) **यह कि** कौशल–विकास, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षुता, उद्योग–सहयोग एवं रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को माध्यनिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के साथ एकीकृत कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कौशल–समन्वित विद्यालयी शिक्षा मॉडल को लागू किया जाए।

ज) **यह कि** डिजिटल शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक अध्ययन सामग्री, मोबाइल–आधारित शिक्षण, शिक्षण–व्यवस्थापन प्रणाली (एल.एम.एस.), दृश्य–व्याख्यान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षा–व्यवस्था एवं सुरक्षित सत्यापन प्रणाली को प्रोत्साहित कर मुक्त विद्यालयी शिक्षा में विद्यमान डिजिटल अंतराल को समाप्त किया जाए।

झ) **यह कि** वंचित वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों, विद्यालय–त्यागी विद्यार्थियों, श्रमिक समुदायों, महिलाओं एवं सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु विशेष शैक्षणिक सहायता, अनुकूलित अध्ययन सामग्री एवं रियायती योजनाएँ उपलब्ध कराकर समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

Vimal Shubhangi मनोहर Sunil

ञ) **यह कि** राष्ट्रीय एवं राज्य शिक्षा नीतियों के अनुरूप मुक्त विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, निर्देशिका, अध्ययन सामग्री, प्रशिक्षण–सामग्री एवं मूल्यांकन–योजना का निर्माण, प्रकाशन, वितरण तथा क्रियान्वयन किया जाए।

ट) **यह कि** बोर्ड द्वारा परीक्षा, प्रमाणन, प्रव्रजन–पत्र (माइग्रेशन), ऋण–अंक स्थानांतरण, पुनर्मूल्यांकन, पंजीकरण एवं सत्यापन जैसी सेवाओं का सुचारु, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाए।

ठ) **यह कि** शिक्षकों, अध्ययन–केंद्रों, परीक्षा–केंद्रों, पर्यवेक्षकों, प्रशिक्षण–कार्मिकों एवं अन्य सम्बद्ध कर्मियों का प्रशिक्षण, उन्नयन एवं क्षमता–निर्माण किया जाए ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों एवं नीतिगत अपेक्षाओं के अनुरूप बनी रहे।

ड) **यह कि** शिक्षा के पूर्ण डिजिटलीकरण हेतु बोर्ड द्वारा ई–अध्ययन मंच, डिजिटल सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मूल्यांकन–पोर्टल एवं मोबाइल–आधारित अध्ययन प्रणाली का विकास एवं संचालन किया जाए।

ढ) **यह कि** बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, कौशल–विकास नीति, समावेशी शिक्षा नीति तथा डिजिटल शिक्षा नीति के तहत निर्धारित सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य संचालित करे।

ण) **यह कि** आपदा, महामारी अथवा किसी भी आपात स्थिति में शिक्षण एवं मूल्यांकन की निरंतरता बनाए रखने हेतु मिश्रित (ब्लेंडेड) एवं वैकल्पिक अध्यापन–मूल्यांकन प्रणालियाँ विकसित की जाएँ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप हों।

त) **यह कि** बोर्ड अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, कौशल–परिषदों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों एवं अन्य विधिक निकायों के साथ सहयोग, समन्वय एवं परस्पर अनुबंध स्थापित कर सके।

थ) **यह कि** मुक्त विद्यालयी शिक्षा से सम्बद्ध शोध, अध्ययन, सांख्यिकीय विश्लेषण, नीतिगत परीक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार किए जाएँ तथा आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन एवं नीतिगत अनुशंसाएँ तैयार की जाएँ।

द) **यह कि** बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की शिकायत–निवारण, दस्तावेज सत्यापन, परामर्श, मार्गदर्शन, हेल्पलाइन एवं क्षेत्रीय सहायता सेवाओं हेतु एक त्वरित, उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रणाली संचालित की जाए।

ध) **यह कि** बोर्ड अपनी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, परीक्षा एवं प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्यालय, शाखाएँ, अध्ययन–केंद्र, परीक्षा–केंद्र, क्षेत्रीय इकाइयाँ तथा

अन्य आवश्यक प्रतिष्ठान स्थापित, संचालित एवं विनियमित कर सके तथा आवश्यकतानुसार कर्मियों की नियुक्ति कर सके।

न) **यह कि** बोर्ड 'प्रवेश, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता एवं उत्तरदायित्व'—इन पाँच मूलभूत सिद्धांतों को लागू करते हुए देश में मुक्त विद्यालयी एवं कौशल—समन्वित शिक्षा के निरंतर उन्नयन, प्रसार एवं प्रगति हेतु कार्य करेगा।

8. सहायक एवं आशयगत उद्देश्य

क) **यह कि** बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन लेक्चर, मूल्यांकन सामग्री, दिशानिर्देश, नोटिफिकेशन एवं परीक्षा संसाधनों का निर्माण, प्रकाशन, वितरण एवं प्रसार किया जाए।

ख) **यह कि** अध्यापन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सूचना प्रबंधन एवं शासन से संबंधित कार्मिकों, अध्ययन केंद्रों एवं परीक्षा केंद्रों को उन्नयन एवं क्षमता निर्माण के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएँ।

ग) **यह कि** केंद्र एवं राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, कौशल परिषदों, उद्योगों, बोर्डों, संस्थानों एवं वैधानिक निकायों से आवश्यकतानुसार सहयोग, समन्वय एवं साझेदारी स्थापित की जाए।

घ) **यह कि** मुक्त विद्यालयी शिक्षा, परीक्षा सुधार, कौशल—आधारित शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शोध, अध्ययन, सर्वेक्षण, नीतिगत अनुशंसा एवं अन्य शैक्षणिक नवाचार कार्य संपादित किए जाएँ।

ङ) **यह कि** बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यालय, शाखाएँ, क्षेत्रीय केंद्र, राज्य इकाइयाँ, अध्ययनध्परीक्षा केंद्र एवं अन्य संस्थापनाएँ स्थापित, संचालित एवं विनियमित की जाएँ।

9. सार्वजनिक हित एवं गैर—लाभकारी उद्देश्य

क) **यह कि** बोर्ड पूर्णतः गैर—लाभकारी स्वरूप में संचालित होगा तथा इसकी आय अथवा संपत्ति का उपयोग केवल बोर्ड के विधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया जाएगा, किसी सदस्य, पदाधिकारी या व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई आर्थिक लाभ वितरित नहीं किया जाएगा।

ख) **यह कि** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों, छात्राओं, विद्यालय—त्यागी विद्यार्थियों, श्रमिक वर्ग एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए विशेष सहायक कार्यक्रम, रियायती शुल्क योजनाएँ एवं छात्र सहायता सेवाएँ संचालित की जाएँ।

ग) यह कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण, समावेशी शिक्षा, वंचित समुदायों के शैक्षणिक उन्नयन तथा राष्ट्रीय हित में शिक्षा प्रसार को बढ़ावा देने हेतु परिषद निरंतर कार्य करेगी।

10. वित्तीय एवं प्रशासनिक उद्देश्य

क) **यह कि** बोर्ड अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, सदस्यता शुल्क, अनुदान, **CSR** सहायता, योगदान, सहयोग राशि एवं अन्य विधि–सम्मत स्रोतों से निधि प्राप्त कर सकेगी।

ख) **यह कि** बोर्ड बैंक खाते स्थापित कर सकेगी, वित्तीय प्रबंधन, लेखा–जोखा, ऑडिट, वार्षिक रिपोर्ट एवं अभिलेखों का संधारण करेगी तथा सभी विधिक, वैधानिक एवं नियामक प्रावधानों का पालन करेगी।

ग) **यह कि** बोर्ड अपने कार्यों के लिए कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, सेवाएँ प्राप्त कर सकेगी, तथा आवश्यकतानुसार अनुबंध, समझौते एवं व्यवस्थाएँ संपादित कर सकेगी।

घ) **यह कि** बोर्ड **Societies Registration Act, 1860** एवं संबंधित राज्यीय/केंद्रीय कानूनों के अधीन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप प्रशासनिक कार्यवाही संचालित करेगी।

संस्था के उपरोक्त सभी उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 ता 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चौरिटेबल एवं अव्यवसायिक होंगे।

11. संस्था के प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम एवं पते, पद, व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था कार्यभार सौंपा गया है।

क0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री श्री सुनीलनन्द गिरि जी महाराज	साधूराम	96 कनखल, जिला हरिद्वार उत्तराखंड	संरक्षक	आध्यात्मिक शिक्षा, एवं समाज सेवा	Sunil
2.	विमल रस्तोगी	तेजबहादुर रस्तोगी	द्वारका सेक्टर 15, गुड़ग्राम हरियाणा	अध्यक्ष	शिक्षा, एवं समाज सेवा	Vimal
3	गौरव मलिक	पी०पी० मलिक	414, प्रीतम पूरा, नई दिल्ली	महासचिव	शिक्षा, एवं समाज सेवा	[illegible]

Sunil Vimal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Gmalik [illegible]

4	संजय कदम	स्व० श्री चन्द्रप्रकाश कदम	राधापुरम नगर, मथुरा उत्तर प्रदेश	उपसचिव	शिक्षा, एवं समाज सेवा	
5	अमृत कुमार	श्री प्रकाश चंद	मकान न 82, कुम्हार वाली गली, गोला कुआं रामनगर, मेरठ।	कोषाध्यक्ष	व्यायाम प्रशिक्षण एवं समाज सेवा	
6	मनोहर लाल शर्मा	श्री कृपा शंकर शर्मा	नानक वाली गली कठुआ, जम्मू।	उपाध्यक्ष	शिक्षा, एवं समाज सेवा	
7.	डॉ सी विट्ठल	श्री गंगाधर जी	89 जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगना।	सदस्य	विधिक सलाहकार, न्यायिक एवं सामाजिक सेवा	
8	डॉ हर्षित रस्तोगी	पंकज रस्तोगी	वसुंधरा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	सदस्य	स्वास्थ्य चिकित्सक एवं सामाजिक सेवा	
9	डॉ शुभांगी चौहान	श्री राजकुमार चौहान	89 ज्वाला नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश	सदस्य	शिक्षा, एवं समाज सेवा	

3. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति–पत्र संचालन नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत एक समिति का गठन किया है।

प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि

आज दिनांक 31 मार्च 2021 को, सी– 91 जे जे क्लस्टर, पीरागढ़ी, नई दिल्ली में आयोजित औपचारिक बैठक में, उपस्थित संस्थापक सदस्यों एवं संबंधित अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि **"केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सोसाइटी Central Board of Open Schooling and Examination Society"** नामक एक पृथक समिति का गठन किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा परिदृश्य में सुधार, नवाचार, गुणात्मक उन्नयन तथा शैक्षिक प्रबंधन के लिए एक विशिष्ट और सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करना होगा। बैठक का प्रारंभ औपचारिक वंदना एवं स्वागत उपरांत हुआ, जिसके पश्चात् उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित सोसाइटी के गठन से संबंधित प्राथमिक उद्देश्यों, संरचनाओं, कार्य–क्षेत्र, उत्तरदायित्वों एवं प्रशासनिक प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया गया।

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत, निम्नलिखित प्रस्तावों को अधिनियमित करते हुए सत्यापित किया गया–

1. उद्देश्य स्पष्टानुसार

यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तावित संस्था/समिति शैक्षिक उन्नयन, बोर्ड प्रबंधन, पाठ्यचर्या विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्यांकन प्रणाली, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्यों तथा विद्यार्थी–कल्याण जैसे कार्यों हेतु समर्पित रहेगी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अन्य प्रासंगिक नीतियों के अनुरूप कार्य करेगी।

2. अध्यक्षीय अनुमति एवं प्रस्ताव का अनुमोदन

बैठक की अध्यक्षता विमल रस्तोगी जी द्वारा की गई, जिन्होंने सभी प्रस्तावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए, सुझाव प्रदान किए और अंततः समिति/सोसाइटी के गठन हेतु औपचारिक सहमति व्यक्त की।

सभी सदस्यों के मत–प्रस्ताव एवं सहमति प्राप्त होने उपरांत, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि **"केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सोसाइटी"** को विधिवत् पंजीकृत कराया जाए।

3. सोसाइटी पंजीकरण हेतु प्रस्ताव

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:–

Vimal Shubhangi

"केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सोसाइटी" का पंजीकरण, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (और समय–समय पर लागू संशोधनों) के अंतर्गत, संबंधित उपबन्धन, फर्म, सोसाइटीज एवं ट्रस्ट विभाग में कराया जाए।"

सोसाइटी के गठन हेतु आवश्यक सभी विधिक औपचारिकताओं:–

ज्ञापन

नियमावली

प्रस्तावना

सभा–उपस्थिति अभिलेख

प्रमाण–पत्र

शुल्क एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज–को सम्पन्न करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया।

5. अंतिम पुष्टि

उक्त प्रस्ताव को सोसाइटी–गठन की प्रक्रिया के महत्त्व को देखते हुए औपचारिक रूप से सत्यापित किया गया तथा इसे अभिलेखों में अंकित करने तथा आगे की पंजीकरण प्रक्रिया हेतु अधिकृत किया गया।

क0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री श्री सुनीलनन्द गिरि जी महाराज	साधूराम	96 कनखल, जिला हरिद्वार उत्तराखंड	संरक्षक	आध्यात्मिक शिक्षा, एवं समाज सेवा	Sunil
2.	विमल रस्तोगी	तेजबहादुर रस्तोगी	द्वारका सेक्टर 15, गुड़ग्राम हरियाणा	अध्यक्ष	शिक्षा, एवं समाज सेवा	Vimal
3	गौरव मलिक	पी०पी० मलिक	414, प्रीतम पूरा, नई दिल्ली	महासचिव	शिक्षा, एवं समाज सेवा	Gmalik
4	संजय कदम	स्व० श्री चन्द्रप्रकाश कदम	राधापुरम नगर, मथुरा उत्तर प्रदेश	उपसचिव	शिक्षा, एवं समाज सेवा	[illegible]
5	अमृत कुमार	श्री प्रकाश चंद	मकान न 62, कुम्हार वाली	कोषाध्यक्ष	व्यायाम प्रशिक्षण	[illegible]

Vimal Gmalik Shubhangi Sunil

			गली, गोला कुआं रामनगर, मेरठ।		एवं समाज सेवा	
6	मनोहर लाल शर्मा	श्री कृपा शंकर शर्मा	नानक वाली गली कठुआ, जम्मू।	उपाध्यक्ष	शिक्षा, एवं समाज सेवा	मनोहर
7.	डॉ सी विट्ठल	श्री गंगाधर जी	89 जुवली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगना।	सदस्य	विधिक सलाहकार, न्यायिक एवं सामाजिक सेवा	
8	डॉ हर्षित रस्तोगी	पंकज रस्तोगी	वसुंधरा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	सदस्य	स्वास्थ्य चिकित्सक एवं सामाजिक सेवा	
9	डॉ शुभांगी चौहान	श्री राजकुमार चौहान	89 ज्वाला नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश	सदस्य	शिक्षा, एवं समाज सेवा	Shubhangi

Vimal

Shubhangi

सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी

केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सोसाइटी

Central Board of Open Schooling and Examination Society

(संस्था का नाम)

क्र0 संख्या	नामित अधिकारी	प्राधिकारी का नाम	टिप्पणी/पद
1.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	गौरव रस्तौगी	सदस्य
2.	लोक सूचना अधिकारी	शरद कुमार अस्थाना	सदस्य
3.	अपीलीय अधिकारी	गौरव मलिक	सदस्य

दिनांकः—

Vimal

अध्यक्ष

विमल रस्तोगी

महासचिव

गौरव मलिक

मनोहर

उपाध्यक्ष

मनोहर लाल शर्मा

कोषाध्यक्ष

अमृत कुमार

Amit Sumit